

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक- मु0अ0-4 (मु0)-3054-04-140/2019 - 3452 /पटना, दिनांक- 21/9/2020
प्रेषक,

संजय दूबे, मा0प्र0से0
अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
बिहार, पटना।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2020-21 में मांग संख्या-37 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 3054-सड़क तथा सेतु उपमुख्य शीर्ष 04 जिला अन्य सड़के, लघु शीर्ष 105 रख रखाव तथा मरम्मत, उप शीर्ष 0001 ग्राम सड़क अन्य रख रखाव व्यय के 0001.27.02 सड़क अनुरक्षण ईकाई मद के अधीन निम्नलिखित सारणी में अंकित पथों के लिये उनके सामने में अंकित लम्बाई एवं राशि के लिये प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार मांग संख्या-37 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 3054-सड़क तथा सेतु उपमुख्य शीर्ष 04 जिला अन्य सड़के, लघु शीर्ष 105 रख रखाव तथा मरम्मत, उप शीर्ष 0001 ग्राम सड़क अन्य रख रखाव व्यय के 0001.27.02 सड़क अनुरक्षण ईकाई मद के अधीन निम्नलिखित सारणी में अंकित पथ के लिये उनके सामने में अंकित लम्बाई एवं राशि के लिये पथवार प्रशासनिक स्वीकृति दी जाती है:-

SL.No	Name of Division	Project ID	Block	Name of Road	Length (In KM)	Cost. Of Initial Rectification with surface Renewal (in Lakhs)	Cost. Of 5 year Maintenance (in Lakhs)	Cost. Of Emergent Repair (10%) in Lakhs	Total Estimated Cost (in Lakhs)	Amount/ km (in Lakhs)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Jagdishpur	10401601015	Bihiya	NH84 Rani Sagar To Laskara	3.120	71.94500	17.85500	7.19400	96.99400	31.09
2	Jagdishpur	10401702008	Bihiya	Bihiya T02 To Ghagha	3.000	65.87200	19.63600	6.52900	92.03700	30.68
3	Jagdishpur	10401701020	Bihiya	Bihiya Tryar Road To Sikariya Halt	2.529	45.57300	17.23800	4.46800	67.27900	26.60
4	Jagdishpur	10401604013	Bihiya	Ramanad Tiwari Railway Halt To Chhotki Sasaram	6.000	140.21900	47.07500	14.02200	201.31600	33.55
5	Jagdishpur	10401702014	Bihiya	Banahi L032 to Dumboul Tola	2.330	53.44300	16.88000	5.29700	75.62000	32.45
6	Jagdishpur	NEA22000924	Bihiya	Link Road Banahi To Bankat	5.100	112.98400	47.78100	11.29800	172.06300	33.74
7	Jagdishpur	10401601021	Garhani	PWD Road To Sikhi Road	2.100	61.98300	13.49600	6.19800	81.67700	38.89
8	Jagdishpur	10401601051	Garhani	Tenduni Garhani Road To Ratanpur	1.050	25.24400	9.69200	2.47500	37.41100	35.63
9	Jagdishpur	10401701013	Jagdishpur	NH-30 To Narayanpur Sundhi Road	1.205	42.17200	8.77100	4.13500	55.07800	45.71
10	Jagdishpur	10401701012	Jagdishpur	NH-30 To Dhaka Karan Via Dulhinganj Englishpur	3.200	72.80100	20.72900	7.28000	100.81000	31.50
11	Jagdishpur	10401601012	Jagdishpur	NH-30 To Gyanpura Road	2.700	91.19600	17.96100	9.11900	118.27600	43.81
12	Jagdishpur	10401601048	Jagdishpur	REO Road Tenduni Garhani To Pipra	2.500	74.77100	15.88600	7.47700	98.13400	39.25
13	Jagdishpur	10401602195	Jagdishpur	Sarua To Mangura	2.600	79.90700	17.00800	7.99000	104.90500	40.35
14	Jagdishpur	10401701022	Jagdishpur	NH-30 To Morcha Via Dulaur	1.470	35.90300	11.21100	3.52000	50.63400	34.44
15	Jagdishpur	10401701009	Jagdishpur	Hariganon Baligaon REO Road To Bankat	1.600	41.09600	9.38000	4.02900	54.50500	34.07
16	Jagdishpur	10401601024	Jagdishpur	REO Road Tenduni Garhani To Kodhwa	1.200	26.89900	8.71700	2.66500	38.28100	31.90
17	Jagdishpur	10401602194	Shahpur	Naragada To Jhawa	4.000	84.27600	31.52200	8.42700	124.22500	31.06
18	Jagdishpur	10401602064	Shahpur	Shahpur To Ranadadih	2.627	83.99300	17.85900	8.39900	110.25100	41.97
19	Jagdishpur	10401705007	Shahpur	REO Road Damodarpur To Damodarpur Mahadalit Tola	0.875	32.66300	4.41500	3.26600	40.34400	46.11
20	Jagdishpur	10401602187	Shahpur	REO Road To Senaria Ohapatti	1.600	45.85400	12.25300	4.54300	62.65000	39.16
	Total				50.806				1782.49200	

आंतरिक वित्तीय सलाहकार द्वारा अनौपचारिक रूप से परामर्शित

(Signature)

17/9/2020

2. कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमण्डल, जगदीशपुर योजनाओं के कार्य सम्पादन निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। नियंत्री एवं व्ययन पदाधिकारी का उत्तरदायित्व होगा कि कार्यों का विशिष्टताओं/विशिष्टि के अनुरूप कार्यान्वित कराकर एकरारनामा एवं सुसंगत वित्तीय प्रावधानों के पालन उपरान्त पूर्णतः संतुष्ट होकर ही राशि की निकासी एवं व्ययन करेंगे। किसी प्रकार की अनियमितता के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (कार्यपालक अभियंता) पूर्णतः जिम्मेवार होंगे।
3. बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति-2018 के तहत MBD आधारित ई-निविदा से आमंत्रित कार्य का सम्पादन संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा कराया जायेगा।
4. इन योजनाओं के चयन के प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना का अनुमोदन संचिका संख्या- मु0अ0-4 (मु0)-3054-04-64/2019 में दिनांक 01.06.2019, 15.07.2019, 05.09.2019 एवं 24.10.2019 को प्राप्त है।
5. सारणी में अंकित उक्त योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार सचिव महोदय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा दिनांक-9.9.2020 को संचिका संख्या-मु0अ0-4 (मु0)-3054-04-140/2019 में अनुमोदन प्राप्त है।
6. योजनाओं के कार्यान्वयन के पूर्व डी0पी0आर0 पर कार्यपालक अभियंता द्वारा सक्षम प्राधिकार से प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।
7. योजनाओं की तकनीकी स्वीकृति प्रदान किये जाने के क्रम में प्रावधानित प्रत्येक मद की संभाव्यता की जाँच सक्षम प्राधिकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
8. एकरारनामा के पूर्व कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित कर लेंगे की सूची में वर्णित कोई भी योजनाओं किसी अन्य अनुरक्षण कार्यक्रम से अच्छादित नहीं हो।
9. संबंधित योजना U/SRI कैटेगरी के अन्तर्गत चिन्हित नहीं हो। यदि चिन्हित हो तो निर्धारित प्रक्रियानुसार सभी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के उपरान्त ही योजना कार्यान्वित की जाय।
10. बिहार कोषागार संहिता निहित प्रावधानों के आलोक में बजट प्रावधान के अन्तर्गत निधि की उपलब्धता के आधार पर ब्राडा के निर्धारित प्रावधान/प्रक्रिया के आलोक में राशि की निकासी की जायेगी।
11. वित्त विभाग के संकल्प सं0-3758 दिनांक 31.05.2017 में निहित निदेशों को अक्षरशः पालन किया जायेगा तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में योजना में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जायेगी।
12. यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुर्नविनियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।
13. प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अन्दर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
14. संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा योजना के वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह की 5 तारीख तक ऑन लाइन प्रविष्टि कराते हुए अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता के माध्यम से विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध कराएंगे।
15. योजनाओं के कार्यान्वयन के क्रम में इनका निर्धारित निरीक्षण, सरकार से निर्गत आदेशों में प्रावधानित सक्षम नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा नियमित अन्तराल पर अनिवार्य रूप से किया जायेगा एवं कार्यों को स-समय तथा गुणवत्ता पूर्वक सम्पन्न कराना सुनिश्चित कराया जायेगा। योजनाओं के कार्यान्वयन में अनियमितता की स्थिति में दोषी पदाधिकारी उत्तरदायी माने जाएंगे।

8
17/9/2020

51

16. स्वीकृत्यादेश प्रारूप आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जा रहा है।
आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-मु0अ0-4 (मु0)-3054
04-140/2019 के पृ0-20/टि0 पर दिनांक-10-9-2020 को प्राप्त है।

विश्वासभाजन

17/9/2020

(संजय दूबे)

अपर सचिव

ज्ञापांक- मु0अ0-4 (मु0)-3054-04-140/2019-3452 /पटना, दिनांक-21/9/2020
प्रतिलिपि-कोषागार पदाधिकारी, भोजपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/9/2020

अपर सचिव

ज्ञापांक- मु0अ0-4 (मु0)-3054-04-140/2019-3452 /पटना, दिनांक-21/9/2020
प्रतिलिपि-माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव/सचिव, योजना एवं विकास
विभाग/वित्त विभाग (आय-व्यय शाखा)/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य
विभाग/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना/जिला पदाधिकारी, भोजपुर/उप विकास आयुक्त,
भोजपुर/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव बजट शाखा, ग्रामीण
कार्य विभाग/मुख्य अभियंता-1 एवं 4, पटना ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण
कार्य अंचल, आरा/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमंडल, जगदीशपुर को सूचनार्थ एवं
आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित एवं आई0टी0 नोडल पदाधिकारी को MIS में अपलोड करने
हेतु एवं आई0टी0 मैनेजर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

17/9/2020

अपर सचिव

444